भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 3824
18 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

हैदराबाद मेट्रो रेल में अनियमितताएं

3824 श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या कंसेशनेयर ने राज्य सरकार के साथ मिलीभगत से किराये में दोगुना से ज्यादा वृद्धि की है तथा साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्राप्त किया है एवं उसके एक बड़े हिस्से का दुर्विनियोजन किया है;
(घ) क्या छूट से समझौते के अनुच्छेद 41 को लागू न करके कंसेशनेयर को बड़ी अनर्जित लाभ राशि का गैर-कानूनी तरीके से दुर्विनियोजन किया गया; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ) : हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक पहल है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवहार्यता अंतराल निधियन किया जाता है और इस परियोजना को आन्ध्र प्रदेश नगर-पालिका ट्रामवेज़ (निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत प्रारंभ में स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद, मेट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा सुरक्षा प्रमाणन के साथ-साथ मानकों मे समरूपता लाने के उद्देश्य से इस परियोजना को मेट्रो रेलवे (प्रचालन और रख-रखाव) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत शामिल किया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने सूचना दी है कि मेट्रो रेलवे (प्रचालन और रख-रखाव) अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसरण में हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा किराया निर्धारित किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने यह भी सूचना दी है कि उन्हें हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना में चल रहे किसी भी प्रकार के घोटाले या भ्रष्टाचार या दुर्विनियोजन के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****